UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Board Sec/EGM Notice/277/2018 February 5, 2018

Corporate Relations Cell Bombay Stock Exchange Ltd. P.J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai - 400001	**Listing Department** National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051
Scrip Code: UNITEDBNK (533171)	Scrip Code: UNITEDBNK

Dear Madam/Sir,

Sub:- Notice of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank

The Exchange is hereby informed that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank is scheduled to be held on Tuesday, February 27, 2018 at 10:00 A.M. in Kolkata.

Notice of the EGM dated January 31, 2018 is enclosed for your kind perusal and records.

The submission may please be taken on record in terms of the applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking You,

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

असाधारण आम बैठक के लिए सूचना

Notice for Extraordinary General Meeting

मंगलवार, 27 फरवरी, 2018 पूर्वाह्न 10.00 बजे

Tuesday, 27th February, 2018 at 10.00 A.M.

सभा स्थल :
कलकाता विश्वविद्यालय इंस्टिट्युट हॉल ऑडिटॉरियम,
7, बेंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता - 700073

Venue :
Calcutta University Institute Hall Auditorium,
7, Bankim Chatterjee Street,
Kolkata -700 073

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालय / Head Office :

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
Share Department & Investors' Grievances Cell :
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / Website | **www.unitedbankofindia.com**

सामग्री

पृष्ठ संख्या

सूचना 1

टिप्पण 3

व्याख्यात्मक विवरण 6

CONTENTS

Page No.

Notice **12**

Notes **14**

Explanatory Statement **17**

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक फरवरी 27, 2018 को पूर्वाह्न 10 बजे कलकता विश्वविद्यालय इंस्टिट्युट हॉल ऑडिटोरियम, 7, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता–700073 में, निम्नलिखित व्यवसाय परिचालित करने के लिए आयोजित की आएगी।

मद सं. 1. **केन्द्रीय सरकार के मार्फत भारत के राष्ट्रपति को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम एवं आवंटन**

एक **विशेष संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो उसे पारित करने हेतु:

"**संकल्प किया गया कि** समय–समय पर संशोधित (विनियम), बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके आगे इसे **"अधिनियम"** के रुप में संदर्भित किया गया), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 समय–समय पर संशोधित युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन 2010, सेबी (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (इसके आगे इसे **"सेबी आईसीडीआर विनियमन"** जमाकर्ता अधिनियम 1996, सेबी (जमाकर्ता एवं सहभागी) विनियमन 1996, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियमन 2011 (आगे इसे **"सेबी एसएएसटी विनियमन"** के रुप में संदर्भित किया गया है), सेबी (सूचीकरण बाध्याताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (इसके आगे इसे **"सेबी सूचीकरण विनियमन"** के रुप में संदर्भित किया गया है) तथा इसमें कोई संशोधन अथवा इसका पुन: अधिनियमन, वित्त मंत्रालय का पत्र एफ सं.7/38/2014–बीओए दिनांक 24.01.2018, जिसे 06 सितंबर 2017 को आयोजित बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया था और भारत सरकार (इसके आगे इसे **"जीओआई"** के रुप में संदर्भित किया गया), भारतीय रिजर्व बैंक (इसके आगे इसे **"आरबीआई"** के रुप में संदर्भित किया गया), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इसके आगे इसे **"सेबी"** के रुप में संदर्भित किया गया), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित तथा उनके द्वारा उक्त अनुमोदन की मंजूरी देते समय उनके द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी तथा उक्त शर्तो और आशोधनों के शर्ताधीन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल सहमत हों (यहां **"बोर्ड"** में इस उद्देश्य से गठित या गठित की जानेवाली समिति शामिल होगी), और ऐसे अन्य अधिनियमों, नियमों, विनियमनमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, निदेशों जैसा समय समय पर प्रयोज्य हो अथवा इसमें कोई संशोधन अथवा उसकी पुनर्निर्गमन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति इसके साथ निदेशक मंडल को 144,56,64,105 (एक सौ चौवालीस करोड़ छप्पन लाख चौसठ हजार एक सौ पॉच) तक दी जाए। सेबी आईसीटीआर विनियमन के अध्याय VII के तहत विनियम 76(1) के अनुसरण में निर्धारित भारत सरकार की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को प्रति शेयर रु. 10/ के 8.22 इक्विटी शेयर ताकि प्रति शेयर प्रीमियम रु. 18.22 समेत प्रति शेयर अधिमान्य आधार पर सकल राशि नकद रु. 2634 करोड़ (दो हजार छ सौ चौतीस करोड़) तक इक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर सृजन, प्रस्ताव, और निर्गत करने के लिए सहमति प्रदान की जाती हैं।

पुन: संकल्प किया गया कि उक्त उद्देश्य के लिए सेबी आईसीटीआर विनियमन के अध्याय VII के तहत विनियमन 71 (क) अनुसार अधिमानी निर्गम मूल्य स्थिर करने के लिए प्रासंगिक तिथि जनवरी 25, 2018 होगी।

पुन: संकल्प किया गया कि जारी होने वाले ईक्विटी शेयरों को नए निर्गम के लिए सेबी आईसीडीआर विनियम 78(1) के तहत वर्णित अवरुद्धता अपेक्षाओं के शर्ताधीन लाभांश सहित सभी तरह से बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के साथ समरूप समझा जाएगा।

पुन: संकल्प किया गया कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड / समिति उन सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने, अंतिम रूप देने और पूर्ण स्वविवेक के अनुसार उचित, आवश्यक, एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, को दूर करने के लिए भी प्राधिकृत है और इसके अलावा, वह सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने और सभी प्रलेखों एवं लिखित पत्रों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक, वांछनीय या उचित हो और जो उसके विवेकानुसार उपयुक्त या वांछनीय हो और जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं, या यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त तत्संबंधी अपनी सहमति प्रदान कर दी है अथवा यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राथिकारी द्वारा व्यक्त अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

पुन: संकल्प किया गया कि बोर्ड / समिति को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझा जाए, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा बैंक का ऐसा अन्य अधिकारी को एतदद्वारा सौंपे गए सभी अथवा किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया गया।"

मद सं. 2. **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर क्रय योजना – 2018 के तहत शेयरों का निर्गम एवं आवंटन**

एक **विशेष संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो उसे पारित करने हेतु:

"**संकल्प किया गया** कि सेबी के लागू प्रवधानों के अनुसरण (शेयर आधारित कर्मचारियों का लाभ) विनियम, 2014 (इसके बाद **"सेबी इएसपीएस विनियम के रुप में संदर्भित**) जैसा कि समय–समय पर संशोधित सेबी परिपत्र सीआईआर / सीएफडी / पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांक जून 16,2015, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमो का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियन अधिनियम, 1949 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना 1970, युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया (शोयरो एवं बैठको) विनियमन 2010 (इसके बाद **"बैंक विनियमन"** के रुप में संदर्भित), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 (इसके आगे "सेबी सूचीकरण विनियमन" के रुप में संदर्भित),

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके आगे **"सेबी अधिनियम"** के रुप में संदर्भित) जैसा कि समय समय पर संशोधित, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम जिसमें प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 (इसके बाद "एससीआरए"/"एससीआरआर") सहित, आयकर अधिनियम 1961 ("आयकर अधिनियम") निक्षेपी अधिनियम 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाएं गए नियमों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरण अथवा भारत से बाहर एक व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिभूति), विनियमन, 2017 जिसमें समय समय पर कोई सांविधिक संशोधन अथवा परिशोधन अथवा पुनर्अधिनियमन लागू हो तथा सेबी (आंतरिक व्यापार निवारण) विनियमन 2015, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 06 दिसंबर, 2017 का अनुमोदन तथा भारत सरकार (इसके बाद "भारत सरकार" के रुप में संदर्भित) के अनुमोदन के विषयाधीन, भारतीय रिजर्व बैंक (इसके आगे "आरबीआई" के रुप में संदर्भित), स्टॉक एक्सचेंज जिस पर बैंको का शेयर सूचीबद्ध है और इस संबंध में ऐसे अन्य उपर्युक्त सांविधिक, विनियामक एवं ऐसी स्थिति में ऐसे किसी भी प्राधिकारी द्वारा किए गए यथानिर्धारित संशोधन अथवा ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी जिससे युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल द्वारा सहमति हो एवं स्वीकृत किया गया हो, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर क्रय योजना - 2018 (इसके बाद "युबीआई ईएसपिएस - 2018" के रुप में संदर्भित) तथा एतद्वारा अनुमोदन किया जाता है एवं बैंक के शेयरधारकों की सहमति को एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है (इसके बाद "बोर्ड" के रुप में संदर्भित किया गया है जिसमें एक समिति शामिल कि जाएंगी जिसे बोर्ड द्वारा गठित अथवा / इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठन करेगा या "युबीआई इएसपिएस - 2018" के कार्यान्वयन के माध्यम से एक या एकाधिक शेयर का भाग अंकित मूल्य प्रत्येक 10/- रुपए पर 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ तक) बैंक के प्रात्र कर्मचारियों को ईक्विटी शेयर आवंटित, मंजूरी अथवा निर्गम जारी करेगा और बोर्ड/समिति द्वारा ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों एवं शर्तें जो भी उचित हो कार्यान्वित होगा।

पुनः संकल्प किया गया कि, उपर्युक्त सभी नए इक्विटी शेयर जो युबीआई ईएसपीएस 2018 के तहत जारी एवं आवंटित किये जाएंगे, उनको बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ लाभांश के भुगतान सहित सभी मामलों में सममात्रा के अंतर्गत रखा जाएगा।

पुनः संकल्प किया गया कि, बैंक, सेबी ईएसपीएस विनियम, के विनियम 15 या किसी वैधानिक संशोधन (नों) या उसके पुनर्मूल्यांकन में निर्दिष्ट लेखा नीतियों के अनुरूप होगा।

पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड / समिति को "यूबीआई इसपीएस 2018" के तहत स्टॉफ एक्सचेंजों में जारी एवं आवंटित इक्विटी शेयरों के सूचीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड / समिति को इस तरह के सभी संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड/समिति उन सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को तैयार करने के लिए एवं कार्यान्वयन के लिए "युबीआई ईएसपीएस 2018" के अनुसार पूर्ण स्वविवेक के अनुसार उचित, आवश्यक, एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे नियमों और शर्तो के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर ऐसे रुपांतरण (णों), परिवर्तन (नों), विविधता (ओं), बदलाव (वों) या संशोधन (नों) को "युबीआई ईएसपीएस 2018" के शर्तानुसार निर्णय लिया जा सकता है, और यह बैंक के कर्मचारी (यों) के हितों के विपरीत नहीं होगा जब तक कि उसे किसी वैधानिक या विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की आवश्यकता न हो, इसमें संशोधन, "युबीआई ईएसपीएस 2018" को इस तरीके से मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड के संबंध में या निलंबित करने, निकालने, समाप्त करने या संशोधित करने के लिए बोर्ड अपने विवेकाधिकार से निर्धारित कर सकता है।

पुनः संकल्प किया गया कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य के लिए, बोर्ड / समिति को इसके द्वारा किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो "यूबीआई के कार्यान्वयन के जरिए इक्विटी शेयरों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है ईएसपीएस 2018 "और आगे सभी एसे कृत्यों, कर्मो, मामलों और चीजों को पूरा करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रुप देने और निष्पादित करना, जैसा कि इसके पूर्ण विवेक में उचित, आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझा जा सकता है बिना किसी भी आगे की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता शेयरधारकों का या अंत करने के लिए अधिकृत है कि शेयरधारकों को इस प्रस्ताव के प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रुप से उनके अनुमोदन दिया माना जाएगा।

पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड / समिति को इसके द्वारा अधिकृत किया गया है और इसके द्वारा यहां दिए गए सभी या किसी भी शक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जो कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी, जो इसके लिए उपयुक्त हैं पूर्वोक्त संकल्प के लिए प्रभावी होंगे।"

बोर्ड के आदेशानुसार
ह/-
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

तारीख : 31 जनवरी, 2018

स्थान : कोलकाता

टिप्पण :

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक विनियमन के विनियम 60(iii) के अनुसार एक शेयरधारक को बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

विनियम 62(ii) के विनियमन के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् वृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018 को व्यवसाय समय के समापन से पहले बैंक के पास, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, 11, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता 700 001 में पहुंच जाना चाहिए।

उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

बैंक में जमा किया गया प्रतिनिधि का लिखत अविकल्पी एवं अंतिम होगा।

यदि प्रतिनिधि लिखत बैकल्पिक रुप से दो अनुदानग्राहियों (ग्रान्टी) के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम के विनियम 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रुप मे वोट देने का हक नहीं होगा जो उस लिखत से संबंधित है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं हो सकेगा।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

विनियम के विनियमन 61(i) के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है नो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकारी का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार बैकल्पिक रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

विनियम 61(ii) के विनियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता–700 001 में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन अर्थात वृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पहले जमा न की गई हो

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेगा।

3. **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र**

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस सूचता में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

4. **शेयरधारकों की पूछताछ**

यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न को पर्याप्त समय रहते भेज दें तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी/पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है–

शेयर विभाग एवं निवेशकर्ता शिकायत कक्ष,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, चौथा तल
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700 001

अथवा

ई–मेल investors@unitedbank.co.in

5. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा।

6. ई-मतदान

सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियम 44 के अनुसार बैंक ने अपनी असाधारण म बैठक की सूचना दिनांक 27 फरवरी, 2018 में उल्लिखित मदों पर अपने सभी शेयरधारकों के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सार्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रामनियम एवं कंपनी., सेवारत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संविक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

दूरस्थ ई-मतदान वैकल्पिक है। ई-मतदान के अतिरिक्त शेयरधारकों को बैलट अथवा वोटिंग पेपर के माध्यम से बैठक के स्थान पर मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना मतदान किया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन अपना मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा मंगलवार, **20 फरवरी, 2018 (निर्धारित तारीख)** तक धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में स्वीकार किया जाएगा।

दूरस्थ ई-मतदान की अवधि को प्रात : (ईएसटी) 10:00 बजे से शनिवार 24 फरवरी, 2018 आरम्भ होकर को सोमवार 26 फरवरी, 2018 को 17:00 बजे (ईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दोरान बैंक के शेयरधारक, जो शेयर भौतिक रूप में या डीमैट फॉर्म में रखे हो जिसकी निर्दिष्ट सीमा (रिकार्ड तारीख) तक है, वे इलेक्ट्रानिक नरीके से अपने वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

शेयरधारको को ई मतदान संबंधी अनुदेश नीचे दिए गए है।

(i) ई-मतदान वेबसाईट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें।

(ii) **"शोयरहोल्डर्स"** टैब पर क्लिक करें।

(iii) अपना **यूजर आईडी** दर्ज करें

क. सीडीएसएल के लिए : **16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी**

ख. एनएसडीएल के लिए : **8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी**

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए सदस्य **बैंक के साथ पंजीकृत फोलियों नं. दर्ज करें**

(iv) अब प्रदर्शित हुए **इमेज वेरीफिकेशन** को दर्ज करें और **लॉगिंन** पर क्लिक करें।

(v) यदि प डीमैट के रूप में शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया था और इससे पहले किसी भी कंपनी की हाल ही के वोटिंग में मतदान किया है, तो पके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें :

डीमैट रुप में एवं भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ भौतिक रुप में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) ● जिन सदस्यों ने बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करे और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें।** ● **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें,** अर्थात् यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फिल्ड में आरए 00000001 प्रविष्ट करें।
जन्म तिथि या लाभांश बैंक विवरण	**आपके लाभांश बैंक विवरण या डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि** या फोलियो संख्या **दिन/माह/वर्ष** की प्रविष्टि करें। ● **लॉगिन करने के लिए जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण** की प्रविष्टि करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं किया हो, कृपया अपनी सदस्यता ईडी/फोलियो सं, दिशानिर्देश (ii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें।

(vii) उचित रुप से इन ब्योरों को भरने के बाद **"सबमिट"** टैब पर क्लिक करें।

(viii) इसके बाद, भौतिक रुप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म मे शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेशन मेन्यू' तक पहुंच जाएंगें जिसमें उन्हें अनिवार्य रुप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिसपर किसी भी अन्य कंपनी/इकाइयों जिसके लिए वे पात्र है मतदान के लिए प्रेयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी/इकाई सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढ़ता के साथ सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की साझा नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(ix) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-मतदान के लिए किया जा सकता है।

(x) **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** के लिए **ईवीएसएन** पर क्लिक करें, जिसे आप वोट करने के लिए चुनते हैं।

(xi) मतदान पृष्ठ पर, आप **"रिजोल्यूशन विवरण"** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **"हाँ/नहीं"** विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प **हाँ** रिजोल्यूशन पर आप की सहमति का तात्पर्य है और विकल्प **नहीं** रिजोल्यूशन पर आप की असहमति का तात्पर्य है।

(xii) यदि आप पूरे रिजोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो **"रिजोल्यूशन फाइल लिंक"** पर क्लिक करें।

(xiii) रिजोल्यूशन चयन करने के बाद, आप वोट करने का फैसला किया है, **"सबमिट"** पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो **"ओके"** पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने लिए, **"कैंसल"** पर क्लिक करें और उसके अनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(xiv) रिजोल्यूशन पर एक बार आप अपना वोट **"कानॅफर्म"** कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) वोटिंग पृष्ठ को **"क्लिक हियर टू प्रिंट"** विकल्प पर क्लिक करके, आप द्वारा किया गया मतदान का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं।

(xvi) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हो तो वे यूजर आईडी दर्ज करें और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और फॉरगौट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं प्रणाली द्वारा प्रेरित विवरण दर्ज करें।

(xvii) सदस्य अपना मतदान सीडीएसएल मोबाइल एप, ()एम वोटिंग() के द्वारा भी कर सकते है। ()एम वोटिंग() एप गुगल प्ले स्टोर, एप स्टोर तथा एंड्रॉयड के लिए विंडोस फोन स्टोर, ई ओ एस तथा विंडो युजर से क्रमश: डाउनलोड किया जा सकता है।

(xviii) **अभिरक्षक एवं गैर - व्यक्तिक सदस्यों के लिए नोट**

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात - व्यक्तियों, एचयूएफ, एन आर आई के अलावा) https://www.evotingindia.com पर ई-मेल किया जाना चाहिए ओर अपने को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करें।
- इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल किया जाना चाहिए।
- लॉगइन ब्योरा प्राप्त होने के बाद वे प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाएंगे। कंप्लायंस उपयोगकर्ता से खाता (ओं) का लिंक सक्षम हो जाएगा, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com मेल पर भेज दिया जाएगा और खातों के अनुमोदन पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी किए गए बोर्ड संकल्प और पॉवर अटार्नी (पोओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारुप में अपलोड किया जाना चाहिए।

(xix) यदि आपको या ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दा हो तो आप सामान्यत: पूछे जाने वाले सवाल (एफ ए क्यू) पर और ई-वोटिंग मेनुअल www.evotingindia.com के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध है या इसे प्राप्त करने के लिए evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।

7. **ई–मतदान एवं मतदान का परिणाम :** बैठक की समापित के 48 घंटों के भीतर ई–मतदान तथा मतदान का समेकित परिणाम घोषित किया जाएगा। इसे बैंक की वेबसाईट, सीडीएसएल में दिया जाएगा और जिस स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उसे सूचित किया जाएगा।

8. **मतदान में संवीक्षक :** बैठक में परिचालित किए जानेवाले मतदान में कार्यसूची की मदों के संबंध में मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एण्ड को., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवगण संवीक्षक के रूप में काम करेंगे।

9. सभी तथ्यों को स्थापित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण डब्लू आर टी मद सं. 1 एवं 2

मद सं. 1.

निर्गम की पृष्ठभूमि और उददेश्य:

बैक बैकिंग और संबधित गतिविधियों के कारोबार में है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपए है। 30 **सितंबर** 2017 तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु 15621.82 करोड़ रुपए थी।

भारत सरकार के पास रुपये. 1355.83 करोड़ थे जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 86.81% है।

सितम्बर 2017 को बैंक के बासेल–III मानदंड के अंतर्गत कुल जोखिम धारित आस्तियां (आरडब्लूए) रु 68394.43 करोड़ है जिसमें टीयर–I पूंजी रुपये 5459.47 करोड़ तथा टीयर–II पूंजी रुपये 1859.16 करोड़ है टीयर। का अनुपात 7.98 प्रतिशत था, टायर–II का अनुपात 2.72 था और समग्र सीआरएआर 10.70 प्रतिशत था।

बासेल–III के अंतर्गत 30 सितंबर, 2017 को जोखिम धारित आस्तियों की पूंजी निधि का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण (30.09.2017 तक)	**राशि (रुपये करोड़ मेन)**	**जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी निधि का %**
जोखिम भारित आस्तियां	68394.43	
टीयर–I पूंजी	5459.47	7.98
टीयर–II पूंजी	1859.16	2.72
कुल पूंजी	7318.63	10.70

व्यवसाय पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुये दिवालियापन एवं बैंकरप्सी कोड के तहत एनसीलटी को बड़े आकार के एनपीए खातों के संदर्भ में तथा नए स्लिपेज हेतु ऊंचे प्रावधान की अपेक्षाओं तथा वित्तीयवर्ष–18 के व्यवसाय के समर्थन हेतु बैंक की पूंजी आधार को मजबूती प्रदान की अवश्यकता एवं बासेल–III समय के अतंर्गत सभी लागू पूंजी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक हो गया है कि बैंक भारत सरकार और/अथवा अन्य चयनित व्यक्तियों अथवा वित्तीय संस्थानों सहित व्यक्तियों के समूह के पक्ष में तथा पूंजी बढ़ाने के अन्य उपायों के अलावा अधिमानी आवंटन के माध्यम से ईक्विटी पूंजी बढ़ाने के पक्ष में है।

31 मार्च 2018 तक नियामक अनुपात, बैंक को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात) 10.875% (पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 1.875%) की इक्विटी पूंजी जुटाने की आवश्यकता होगी।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने अब तक रु 590 करोड़ अतिरिक्त टीयर–1 पूंजी और रुपये 990 करोड़ की टीयर–2 पूंजी ऋण साधनों को जारी करके जुटाए गए है।

1 अप्रैल, 2018 को बैंक ने जोखिम भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के 7.375% न्यूनतम सीईटी 1 और सीसीबी को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए, भारत सरकार को अपने पत्र F. No. 7/38/2014 – बीएए दिनांकित जनवरी 24, 2018 ने इसकी मंशा को अधिमान्य आवंटन के जरिए बैंक की इक्विटी पूंजी में इस वित्तीय वर्ष के दौरान 2634 करोड़। उपरोक्त पत्र के संदर्भ में, बैंक को उत्तरदायी और जिम्मेदार पीएसबी के लिए एजेंडे के लिए सुधारने के लिए प्रतिबदध होना चाहिए, जिसका उद्देश्य ग्राहकों की जवाबदेही, जिम्मेदार बैकिंग, क्रेडिट ऑफ–ले, पीएसबी के रुप में उदयमीमित्रा एमएसएमई), ब्रांड पीएसबी के लिए कर्मियों के विकास द्वारा वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण और परिणाम सुनिश्चित करने (एच आर) को मजबूत करना। इसके अलावा, बैंक को मार्च 31, 2017 और 30 सितंबर, 2017 के निचले स्तर पर आरडब्ल्यूए को बनाए रखने के मामले में बोर्ड द्वारा अनुमोदित उपक्रम चलाने की आवश्यकता होगी, भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों को सामान्य इक्विटी जारी करके इक्विटी पूंजी जुटाने, रणनीतिक इक्विटी निवेश को मुद्रीकरण, बैंक की परिचालनों के लिए वास्तविक संपत्ति बेचने की आवश्यकता नहीं है, गैरन्मूल संपत्ति में नए निवेश न करने, भारत सरकार के बिना लाभांश का वितरण, शेयरों

को वापस नहीं खरीदना, विदेशी परिचालनों को तर्कसंगत बनाना और बैंक के भीतर शाखाएं मजबूत करना और पीएसबी में और विभेदित बैंकिंग रणनीति को अपनाना है।

बैंक की टीयर-1 पूंजी तथा सामान्य इक्विटी के खरीदारी के उद्देश्य मे वर्द्धित किया जाएगा।

भारत सरकार को आवंटित समस्त अधिमानी निर्गम नकदी के लिए है।

सेबी ईसीडीआर विनियम 76 (1) के अनुसार भारत सरकार को निर्गम मूल्य पर शेयर वंटित किए गए है। दिनांक जनवरी, 25, 2018 को संगत तिथि को ध्यान में रखनें भारत सरकार को प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य प्रति इक्विटी शेयर रु. 18.22 निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	बर्ग	निर्गम के पहले (सगंत तिथि को)		निर्गम के बाद (संभावित)	
ए	प्रोमोटर	शेयरों की सं.	शेयरहोल्डिंग	शेयरों की सं.	शेयरहोल्डिंग
	भारत सरकार	1355831979	86.81	2801496084	93.15
बी	गैर-प्रोमोटर				
	सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग	205991552	13.19	205991552	6.85
	कुल	**1561823531**	**100.00**	**3007487636**	**100.00**

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII के अनुसार अधिमान्य आवंटन किया जाएगा।

6 सितंम्बर, 2017 और जनवरी 30, 2018 को निदेशक मंडल ने अधिमान्य आवंटन के जरिए पूंजी जुटाने को मंजूरी दी थी।

सेबी ईसीडीआर विनियमन के विनियमन 74 (1) के संदर्भ में उपर्युक्त विशेष प्रस्ताव के अनुसार आवंटन पारित होने की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा अर्थात किसी भी अनुमोदन या अनुमतियों की प्राप्ति के अधीन नियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकार यदि आवंटन के लिए आवश्यक कोई अनुमोदन लंबित रहता है, तो पंद्रह दिनों की अवधि को अनुमोदन या अनुमति की तिथि से गिना जाएगा, जैसा कि मामला हो बैंक सेबी के ईसीडीआर विनियमों के मामले में इक्विटी शेयरों की कीमत की फिर से संगठिन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां करना आवश्यक है। यदि मूल्य के पुन: संगणन के कारण देय राशि सेबी इसीडीआर विनियमों में निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक करना जारी रखा जाएगा जब तक कि इस तरह को रकम केंन्द्र सरकार दवारा अदा की जाती है।

केंन्द्र सरकार को इक्विटी शेयरों का पूरा आवंटन डिमटेरियलाइज रुप से किया जाएगा।

सेबी ईसीडीआर विनियमत के विनियमत 78 (6) के अनुसार, भारत सरकार के पूर्व प्री-फेक्शानल होल्डिंग्स को प्रासंगिक दिनांक से लेकर 6 महीने तक लॉज किया जाएगा, जिसके तहत वंटित शेयरों के लिए व्यापार अनुमोदन प्राप्त होने से तारीख से वर्तमान तरजीही वंटन विनियमन 78 (1) के संदर्भ में, भारत सरकार को आवंटित किए गए नए शेयरों, बैंक की अधिकतम भुगतान राशि के 20% के अधीन व्यापार मंजूरी प्राप्त होने की तारीख से 1 साल के लिए लॉक-इन किया जाएगा वर्तमान अधिमानी आवंटन के तहत आवंटित शेयरों के लिए ट्रेडिंग अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।

बैंक के इक्विटी शेयरों को 6 माह से अधिक के लिए सूचीबद्ध किया गया है और तदनुसार सेबी ईसीडीआर विनियमों के विनियमन 78 (3) और 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

बैंक इक्विटी शेयर का स्टॉक एक्सचेंज पर अक्सर कारोबार होता है जिस पर उन्हें सूचीबद्ध किया गया है अथार्त नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड।

निर्गम एवं निर्गम मूल्य सेबी इसीडीआर विनियमों के अपेक्षा अनुसार तैयार किये जा रहे हैं इसे प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा परीक्षक (परीक्षकों) द्वारा जारी प्रमाण पत्र बैठक में रखा जाएगा।

भारत सरकार द्वारा धारित शेयर डिमटेरियल रुप में हैं और बैंक सेबी सूचीकरण विनियमों के तहत निर्धारित इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है।

केंद्र सरकार ने निश्चित तिथि के 6 महीने के पूर्व की अवधि में बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर को नहीं बेचा है।

न तो बैंक और न ही इसका कोई निदेशक कोई निर्देशक इरादतन चूककर्ता है। इसलिए अनुसूची VIII के भाग जी में निर्दिष्ट प्रकटीकरण के समान प्रकटीकरण लागू नहीं है।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41(4) और सेबी ईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII के संदर्भ में बैंक ने अधिमानी () धार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम हेतु विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन चाहता है

यदि प्रस्तावित विशेष संकल्प पारित होता है तो उपर्युक्त निर्गम एवं वंटन करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करेगा। इसलिए उपर्युक्त सक्षमकारी संकल्प निर्गम की शर्तो को अंतिम रुप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन एवं विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए अनुशंसित है। अत: उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया जाता है।

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. बैंक की मौजूदा प्राधिकृत शेयर पूंजी 3000 करोड़ रुपये है। भारत सरकार को प्रस्तावित इक्विटी शेयरों का वंटन प्राधिकृत पूंजी से अधिक होने के लिए प्रदत पूँजी को वंटित करेगा। बैंक को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक शेयरों को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रतिवेदनों की आवश्यकता है और ईस बारे में सूचित करें।
2. भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव और वंटन के प्रणामस्वरुप बैंक वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अपने निर्गोमोत्तर किए गए प्रदत पूँजी के 5% से अधिक की तुलना में भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी करने और वंटित करेगा और इस प्रकार से छूट की आवश्यकता होगी। सेबी (शेयरों और अधिग्रहण के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम की प्रयोज्य आवश्यक मंजूरी हेतु बैंक ने भारत सरकार की तरफ से आवश्यक प्रतिवेदन करेगा।
3. बैंक ने सेबी को सूचित किया है कि बैंक मे प्रवर्तक की हिस्सेदारी अस्थायी अवधि के लिए 90% से अधिक होगी, जो बैंक को 31 मार्च, 2018।

बैंक भारत सरकार इसके बाद शेयरों को आवंटित करेगा(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी में बृद्धि और (ख) इस संबंध में सेबी से आवश्यक छूट प्राप्त करना।

बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी को विशेष प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं है।

मद सं. 2

संभावनायुक्त और गतिशील कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा अनुभवी लोगों को पुरस्कार एवं पहचान प्रदान के लिए बैंक भारत एवं विदेश स्थित अपने सभी स्थायी कर्मचारियों तथा बैंक के सभी निदेशकों को नया इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है। यह कर्मचारी शेयर क्रय योजना (ईएसपीएस) के कार्यान्वयन द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। प्रस्तावित निर्गम से बैंक की इक्विटी पूंजी में भी वृद्धि होगी।

वित्त मंत्रालय के पत्र सं. F.NO.11/13/2011–बीओए दिनांक 12 जून, 2014 के अनुसार बैंक के कर्मचारी को शेयर क्रय योजना की आवश्यकता पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। बैंक ने "युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर क्रय योजना 2018" (यूबीआई ईएसपीएस 2018) नाम से एक योजना तैयार की है यह योजना बोर्ड समिति द्वारा प्रशासित होगी और लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन होगी।

निर्गम की पृष्ठभूमि एवं उद्दश्य:

कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) एक इक्विटी धारित कर्मचारी प्रोत्साहन योजना है जो अपने कर्मचारियों में स्वामित्व हित की भावना लाने के लिए सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध दोनों ही द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह निरंतर वृद्धि हासिल करने तथा संस्था के दीर्घकालिक हित के साथ कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त हित द्वारा शेयरधारक मूल्य निर्मित करने के लिए अल्प लागत प्रणाली है।

पूंजी जुटाने के अतिरिक्त इस निर्गम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

बैंक के युवा, ऊर्जावान, गतिशील प्रतिभाओं को आकर्षित करना, प्रेरित करना और बनाए रखना।

- बेहतर प्रोत्साहनों के साथ अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने और बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उनकी सेवाओं को मान्यता देना।

- बैंक की सफलता में स्वामित्व और भागीदारी की भावना पैदा करना।
- बैंक में शेयरधारकों के धन को बढ़ाने के लिए एक सामान्य उद्देश्य बनाकर शेरयधारकों के साथ कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त जारी किए जाने वाले प्रस्तावित इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के के समकक्ष होंगें।

16 जून, 2015 की परिपत्र सं. सी ई र/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 के अनुसार सेबी द्वारा अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुसार "यूबी ई–ईएसपीएस 2017-18" की व्यापक नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	विवरण	
ए.	योजना का संक्षिप्त विवरण	बैंक प्रस्तावित कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अधीन युबीआ हे ईएसपीएस 2018 के तहत सभी पात्र कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 10/- रूपये अंकित मूल्य के 5 (पांच) करोड़ नए इक्विटी शेयर देने का प्रस्ताव करता है। यह अधिकतम 20% की छूट के साथ किया जाएगा जिसका निर्णय ऑफर के समय किया जाएगा।
बी.	दिये जाने वाली शेयरों की कुल संख्या	कुल मिलाकर 5,00,00,000 (पांच करोड़) इक्विटी शेयरों को युबीआई ईएसपीएस 2018 के तहत पात्र कर्मचारियों को पोश करने का प्रस्ताव दिया गया है। बैंक के विभाजन, पूंजीकरण, एकीकरण, विनिमय अथवा बकाया इक्विटी पूंजी को प्रभावित करने वाले अन्य परिवर्तन के कारण इस योजना के तहत जारी की जाने वाली अधिकतम संख्या के संबंध में उचित समायोजन किए जाएंगे।
सी.	युबीआई ईएसपीएस 2018 में प्रतिभागी	1. समग्रकालिक निदेशक या 2. बैंक का एक स्थायी कर्मचारी जो भारत में या भारत के बाहर एवं लाभार्थी होने के हकदार कर्मचारियों के रूप में कार्यरत है। इसमें प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। नोट: मुख्य सतर्कता अधिकारी योजना के दायरे के बाहर रहेगा।
डी.	वेस्टिंग की आवश्यकता और अवधि	**अप्रयोज्य**
ई.	अधिकतम अवधि (यथा स्थिति सेबी विनियमों के विनियम 18 (1) एवं 24 (1) के अधीन) जिसमें विकल्प/एसएआर/लाभ निहित होंगे ज	**अप्रयोज्य**
एफ.	लागू मूल्य, एसएआर मूल्य,खरीद मूल्य, या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला	आवंटित किए जाने वाले शेयरों की कीमत बैंक की इक्विटी शेयरों के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च और निम्न के औसत के पारिश्रमिक समिति द्वारा तय किए गए अनुसार, 20% से अधिक की छूट पर प्रस्तावित नहीं हैं पेशकश की तारीख से पहले 2 सप्ताह की अवधि के दौरान उच्चतम व्यापारिक मात्रा के साथ स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी परिस्थिति में, योजना के तहत शेयरों के मूल्य के रूप मे आवंटित किया जाएगा जो शेयरों के अंकित मूल्य से कम है, अर्थात रू 10 प्रति इक्विटी शेयर।
जी.	लागू अवधि और लागू करने की प्रक्रिया	अप्रोज्य
एच.	यूबीआ ई–ईएसपीएस 2018 के लिए कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया	प्रस्ताव की तारीख के अनुसार पात्र कर्मचारी लागू नियामक आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th></th></tr>
<tr><td>आई</td><td>प्रति कर्मचारी निर्गम किए गए शेयरों की अधिकतम संख्या और कुल मिलाकार</td><td>पात्र कर्मचारियों के लिए आवंटित किए जाने वाले शेयरों की अधिकतम संख्या, ग्रेड के अनुसार, निम्न के रूप में प्रस्तावित हैं –
<table>
<tr><th>कर्मचारी समूह (स्केल)</th><th>कर्मचारियों की कुल सं. (31.12.2017 तक)</th><th>प्रत्येक कर्मचारी को निर्गम किए जाने वाले प्रस्तावित शेयरों की अधिकतम संख्या</th><th>कर्मचारी समूह को निर्गम किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल शेयर</th></tr>
<tr><td>निदेशकों</td><td>2</td><td>20000</td><td>40000</td></tr>
<tr><td>टीईजी (VI & VII)</td><td>55</td><td>10000</td><td>550000</td></tr>
<tr><td>एसएमजी (IV & V)</td><td>530</td><td>7500</td><td>3975000</td></tr>
<tr><td>एमएमजी (II & III)</td><td>2986</td><td>5000</td><td>14930000</td></tr>
<tr><td>जेअमजी (I)</td><td>4379</td><td>4000</td><td>17516000</td></tr>
<tr><td>लिपिक</td><td>4242</td><td>2000</td><td>8484000</td></tr>
<tr><td>सब–स्टाफ</td><td>2347</td><td>1000</td><td>2347000</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>14541</td><td></td><td>47842000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>जे</td><td>योजना के तहत प्रति कर्मचारी अधिकतम लाभ प्रदान किए जाने के लिए</td><td>योजना के तहत कर्मचारी को कोई अन्य लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। बैंक अपने कर्मचारियों को शेयरों की खरीदने के लिए किसी भी तरह का ऋण नहीं देगा, हालांकि कर्मचारियों को मंजूर की गई क्लीन ओवरड्राफ्ट का उपयोग इस उद्देश्य के लिए कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>के</td><td>क्या योजना को डायरेक्टरी या ट्रस्ट के माध्यम से निर्देशित किया जाना है।</td><td>सीधे बैंक द्वारा पारिश्रमिक समिति के माध्यम से।</td></tr>
<tr><td>एल</td><td>क्या इस योजना में नए निर्गम किए गए इक्विटी शेयर या गौण अधिग्रहण (ट्रस्ट द्वारा) या दोनों शामिल हैं।</td><td>प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक नए ईक्विटी शेयर सीधे पात्र कर्मचारियों को निर्गम करेंगा।</td></tr>
<tr><td>एम</td><td>ट्रस्ट को बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किए जाने वाले ऋण की राशि, इसका कार्यकाल, उपयोग और चुकौती शर्तें आदि।</td><td>अप्रोज्य</td></tr>
<tr><td>एन</td><td>गौण अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत जो ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है।</td><td>अप्रोज्य</td></tr>
<tr><td>ओ</td><td>इस आशय का एक बयान है कि बैंक सेबी विनियमन के नियमन 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगा।</td><td>बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियमन 15 के तहत निर्धारित लेखा नीतियों के अनुरूप होगा।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	विवरण	
पी	बैंक अपने विकल्प / एसएआर के मूल्य के लिए इस्तेमाल करेगा	अप्रोज्य
क्यू	विवरण, यदि प्रयोज्य हो	यदि बैंक आधारभूत कर्मचारी का उपयोग करने के लिए आंतरिक मूल्य का उपयोग करने का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारियों की मुआवजे की लागत के बीच का अंतर की गणना की जाती है और कर्मचारी मुआवजा लागत जो कि उचित मूल्य का इस्तेमाल करते हैं, उसे मान्यता दी जाएगी, निर्देशकों 'रिपोर्ट और लाभ के मुकाबले इस अंतर का प्रभाव और बैंक की आय पर प्रति शेयर ("ईपीएस") का भी निदेशकों की रिपोर्ट में खुलासा होगा। जब लागू हो, तब बैंक उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
आर	लॉक इन अवधि	योजना के अनुसार कर्मचारियो को आवंटित किए गए शेयरों को सभी स्टॉक एक्सचेंजों से व्यापार स्वीकृति की प्राप्ति की तारीख से न्यूनतम (1) वर्ष के लिए लॉक-इन के अधीन किया जाएगा। लॉक-इन अवधि को आगे वैधानिक / नियामक / स्टॉक एक्सचेंज के निर्देशों के पालन हेतु बढ़ाया जा सकता है, यदि कोई हो।

06, दिसंबर, 2017 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने उक्त आवंटन को मंजूरी दी है। इसके अलावा, बैंक केंद्र सरकार, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज बैंक बोर्ड या एसे अन्य नियामक निकायों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा जो लागू हो सकते हैं।

प्रस्तावित विशेष संकल्प, यदि पारित किया गया, तो उपर्युक्त निर्गम और आवंटन करने के लिए बैंक के निर्दशक मंडल या इस संबंध में सशक्त समिति को अधिकृत करेगा। इसलिए इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेक प्रदान करने के लिए पूर्वोक्त सक्षम संकल्प की सिफारिश की गई है। इसलिए आपकी सहमति से उपरोक्त प्रस्ताव के लिए अनुरोध किया गया है।

निर्देशक मंडल नोटिस में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक के प्रबंध निर्दशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी,कार्यपालक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का संकल्प के प्रति आस्था एवं रूचि रखते हैं। अन्य निदेशकों उल्लिखित संकल्प के प्रति रूचि या संबंधित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक 31 जनवरी, 2018
स्थान - कोलकाता

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of United Bank of India will be held on Tuesday, February 27, 2018, at 10.00 A.M. at Calcutta University Institute Hall Auditorium, 7, Bankim Chatterjee Street, Kolkata - 700073 to transact the following businesses —

Item No. 1 : Issue & Allotment of Equity Shares to President of India on behalf of Central Government on Preferential basis.

To consider and if thought fit, pass the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT**, pursuant to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended from time to time, United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010 (hereinafter referred to as **"Bank Regulations")**, and subject to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 (hereinafter referred to as **"SEBI ICDR Regulations")**, Depositories Act 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations 1996, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as **"SEBI SAST Regulations")**, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as **"SEBI Listing Regulations")**, and any amendment thereto or re-enactment thereof, Ministry of Finance letter F. No. 7/38/ 2014-BOA dated January 24, 2018, approval by the Bank's Board of Directors dated September 6, 2017 and January 30, 2018 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Government of India (hereinafter referred to as **"GoI"**), Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **"RBI"**), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as **"SEBI"**), the Stock Exchanges on which the securities of the Bank are listed and/ or such other authority as may be required in this regard, and subject to such terms and conditions and modifications thereto as may be prescribed while granting such approvals by such authorities and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (**"Board of Directors"** shall include any **"Committee"** constituted or to be constituted by the Board in this regard), such other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications, Directions as may be applicable from time to time or any modification thereto or re-issuance thereof, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors to create, offer, issue and allot up to 144,56,64,105 (One Hundred and Forty Four Crore Fifty Six Lac Sixty Four Thousand One Hundred and Five) equity shares of Rs.10/- each to the President of India acting on behalf of the Government of India at Rs. 18.22 per share including a premium of Rs. 8.22 per share determined in accordance with Regulation 76(1) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations aggregating up to Rs.2634 crore (Rupees Two Thousand Six Hundred Thirty Four Crore) for cash on preferential basis.

RESOLVED FURTHER THAT, the Relevant Date in terms of Regulation 71(a) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of the Preferential Issue Price is January 25, 2018.

RESOLVED FURTHER THAT, the equity shares to be issued shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respect including dividend and be subject to lock-in requirements as prescribed under the Regulation 78(1) of the SEBI ICDR Regulations for fresh issue, and be listed on the Stock Exchanges on which the Bank's existing equity shares are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Committee be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable or expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director or such other functionary to give effect to the aforesaid Resolution."

Item No. 2 : Issue & Allotment of Shares under United Bank of India Employee Share Purchase Scheme-2018.

To consider and if thought fit, pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT, pursuant to the applicable provisions of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as the **"SEBI ESPS Regulations"**), as amended from time to time, read with SEBI Circular CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated June 16, 2015, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010

(hereinafter referred to as **"Bank Regulations"**), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as **"SEBI Listing Regulations"**), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (hereinafter referred to as **"SEBI Act"**) as amended from time to time, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 including Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (hereinafter referred to as **"SCRA" & "SCRR"**), Income Tax Act, 1961 (**"IT Act"**), Depositories Act, 1996 and the rules framed thereunder, the Foreign Exchange Management Act, 1999 (**"FEMA"**), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017, including any statutory amendments thereto or modifications or re-enactments thereof for the time being in force, and subject to the SEBI (Prevention of Insider Trading) Regulations 2015, approval by Board of Directors dated December 6, 2017 and subject to the approvals of the Government of India (hereinafter referred to as **"GoI"**), Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **"RBI"**), Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and subject to such further approvals of the Board of Directors and from such other appropriate statutory and/or regulatory authority(ies) and subject to such conditions and modifications as may be prescribed or imposed upon by any such authority(ies) while granting such approvals, consents, permissions and sanctions and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the United Bank of India Employee Share Purchase Scheme - 2018 (hereinafter referred to as "UBI ESPS 2018") be and is hereby approved and the consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, up to 5,00,00,000 (Five Crore) equity shares of face value of Rs.10/- each to the eligible employees of the Bank, by implementing the UBI ESPS 2018 at such price or prices, and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board/ Committee.

RESOLVED FURTHER THAT, all the new equity shares to be issued and allotted under the UBI ESPS 2018 as aforesaid shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects, including payment of dividend.

RESOLVED FURTHER THAT, the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI ESPS Regulations or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board/Committee be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "UBI ESPS 2018", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board/Committee be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable for proper formulation and implementation of the "UBI ESPS 2018" on such terms and conditions as may be decided by the Board/ Committee and to make from time to time, such modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "UBI ESPS 2018" which shall not be detrimental to the interest of the Employee(s) of the Bank unless the same is required to comply with any statutory or regulatory guidelines, shall include but not be limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "UBI ESPS 2018" in such manner as the Board/Committee may determine in its sole discretion.

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/Committee be and is hereby authorised to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares through implementation of the "UBI ESPS 2018" and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable or expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board/Committee be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director or such other functionary of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For **United Bank of India**
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Dated : January 31, 2018
Place : Kolkata

NOTES :

1. APPOINTMENT OF PROXY

Pursuant to Regulation 60(iii) of the Bank Regulations, a shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of himself/ herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In terms of Regulation 62(ii) of the Bank Regulations, the proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its **Share Department & Investors' Grievances Cell,** 4th Floor, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 not less than **four days** before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of **Thursday, February 22, 2018.**

The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the Bank Regulations shall not be entitled to vote in person at the Meeting.

No person shall be appointed a Proxy who is an officer or employee of the Bank.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

Pursuant to Regulation 61(i) of the Bank Regulations, a shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at the Meeting and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he/she represents, as if he/she was an individual shareholder of the Bank.

The authorization so granted may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

In terms of Regulation 61(ii) of the Bank Regulations, no person shall attend or vote at the Meeting as the duly authorised representative of the Company unless a certified to be a true copy of the resolution appointing him as such signed by the Chairman of the meeting at which it was passed, is deposited to the Bank at its **Share Department & Investors' Grievances Cell,** Head Office, 4th Floor, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 not less than **four days** before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of **Thursday, February 22, 2018.**

No person shall be appointed an authorized representative who is an officer or employee of the Bank.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY-PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip cum entry pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the Meeting. Proxy/ Authorised Representatives of shareholders should state on their Attendance Slip cum Entry Pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to the –

Share Department & Investors' Grievances Cell,
United Bank of India,
Head Office, 4th floor,
11, Hemanta Basu Sarani,
Kolkata 700001

or emailed to i**nvestors@unitedbank.co.in**

5. VOTING RIGHTS

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by it/him/her in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

6. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility as per Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the agenda items mentioned in this Notice of the Extraordinary General Meeting to be held on February 27, 2018. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Remote e-voting is optional. In addition to remote e-voting, the shareholders shall have the option of voting at the venue of the Meeting. Shareholders who have cast their votes by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes thereat.

The e-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned in respect of the equity shares held by them as on Tuesday, February 20, 2018 **(the Cut-off Date).**

The remote e-voting period shall begin at 10.00 hrs. (IST) on Saturday, February 24, 2018 and end at 17.00 hrs. (IST) on Monday, February 26, 2018. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

i. Log on to the e-voting website www.evotingindia.com

ii. Click on **"Shareholders / Members".**

iii. Enter your **User ID.**
 a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID.
 b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID.
 c) Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

iv. Enter the **Image Verification** as displayed and Click on **"Login"**.

v. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used. If you are a first time user follow the steps given below.

vi. Fill up the following details in the appropriate boxes:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric **PAN** issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) ● Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the last 8 digits of the sequence number in the PAN field.** ● **In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters.** Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details or DOB	Enter the **Dividend Bank Details or Date of Birth** (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. ● If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

vii. After entering these details appropriately, click on **"SUBMIT"** tab.

viii. Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/ entity on which they are eligible to vote, provided that company/ entity opts for e-voting on the CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

ix. For members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

x. Click on the **EVSN** of United Bank of India to vote.

xi. On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/ NO"** for voting. Select the option **"YES"** or **"NO"** as desired. The option "YES" implies that you assent to the Resolution and option "NO" implies that you dissent to the Resolution.

xii. Click on the **"RESOLUTIONS FILE LINK"** if you wish to view the entire Resolution.

xiii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT".** A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

xiv. Once you **"CONFIRM"** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

xv. You can also take out print of the voting done by you by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

xvi. If Demat account holder has forgotten the changed login password then enter the User ID and the image verification code and click on **"Forgot Password"** & enter the details as prompted by the system.

xvii. Members can also cast their vote using CDSL's mobile app **"m-Voting".** The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store, App Store and the Windows Phone Store for Android, IOS and Windows users respectively.

xviii. **Note for Non – Individual Members and Custodians**

- Non-Individual Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.

 A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

xix. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the **Frequently Asked Questions** ("FAQs") and e-voting user manual available on www.evotingindia.com under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**

7. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND VOTING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the Meeting venue shall be announced within 48 hours of the conclusion of the Meeting by hosting the same on the website of the Bank, CDSL and by dissemination of the same in the public domain through the Stock Exchanges on which the Bank's equity shares are listed.

8. SCRUTINIZERS AT POLL

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of the agenda items at the voting to be conducted at the Meeting.

9. EXPLANATORY STATEMENT SETTING OUT MATERIAL FACTS W.R.T ITEM NO. 1 & 2:

ITEM NO. 1

Background and Object of the Issue:

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 crore The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 30th September, 2017 was Rs.1561.82 crore with Government of India holding Rs.1355.83 crore constituting 86.81% of the total paid-up capital of the Bank.

As of September, 2017 under Basel-III norms the Bank had Tier-I capital of Rs.5459.47 crore and Tier-II capital of Rs.1859.16 crore against the total Risk Weighted Assets (RWA) of Rs.68394.43 crore. The Tier-I ratio was 7.98%, Tier-II ratio was 2.72% and overall CRAR was 10.70%.

The Capital Fund to Risk Weighted Assets as of September 30, 2017 under Basel-III was as under—

Particulars (As on 30.09.2017)	Amount (Rs. in Crores)	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	68394.43	
Tier-I Capital	5459.47	7.98
Tier-II Capital	1859.16	2.72
Total Capital	7318.63	10.70

Considering the business forecast, the higher provisioning requirements on account of references of large ticket NPA accounts to NCLT for resolution under the Insolvency & Bankruptcy Code along with migration & fresh slippages, requirement of additional capital for implementation of IFRS, and the need for strengthening the Bank's capital base to support the envisaged business for FY-18 and to ensure compliance to all applicable capital norms under BASEL - lll regime, it has become necessary for the Bank to raise equity capital through Preferential Allotment in favour of the Government of India and/or other select persons or group of persons including financial institutions apart from other avenues of raising capital.

The Bank will be required to raise equity capital in order to maintain overall capital adequacy ratio of 10.875% (including Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.875%), the required regulatory ratio as on March 31, 2018.

During the current financial year, the Bank has so far raised Rs. 590 crore Additional Tier-I capital and Rs. 990 crore of Tier-II capital through issuance of debt instruments.

In order to enable the Bank to maintain the minimum CET1 and CCB of 7.375% of Risk Weighted Assets (RWA) as on April 1, 2018, the Government of India vide their letter F. No. 7/38/2014 - BOA dated January 24, 2018 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs. 2634 crore during this financial year in the equity capital of the Bank by way of Preferential Allotment. In terms of the aforesaid letter, the Bank shall be required to commit to reforms agenda for Responsive and Responsible PSBs aimed at Enhanced Access and Service Excellence (EASE) covering customer responsiveness, responsible banking, credit off-take, PSBs as Udyamimitra (aimed at MSME), deepening financial inclusion and digitization and ensuring outcome (HR) by developing personnel for Brand PSB. Further, the Bank shall be required to execute the Board approved undertaking in terms of maintaining RWA at the levels at lower of the March 31, 2017 and September 30, 2017, raising equity capital by issuance of common equity to investors other

than Government of India, monetizing strategic equity investments, selling real estates not required for the Bank's operations, not making fresh investment in non-core assets, not distributing dividends without the GoI approval, not buying back its shares, rationalizing overseas operations and consolidating branches within the Bank and across PSBs and adopting differentiated banking strategy.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier - I capital of the Bank.

This entire preferential issue is being allotted to Government of India for cash.

The Issue Price on shares to be allotted to GoI has been determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. Considering January 25, 2018 as the Relevant Date, the Issue Price including premium to GOI is fixed at Rs.18.22 per equity share.

Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on Relevant Date)		After the issue (Estimated)	
		No. of shares	shareholding (%age)	No. of shares	shareholding (%age)
A.	**Promoter**				
	Government of India	1355831979	86.81	2801496084	93.15
B.	**Non-Promoter**				
	Public Shareholding	205991552	13.19	205991552	6.85
	Grand Total	1561823531	100.00	3007487636	100.00

The Preferential allotment shall be made in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The Board of Directors on September 6, 2017 and on January 30, 2018 had approved raising of capital by way of preferential allotment.

In terms of the Regulation 74(1) of the SEBI ICDR Regulations, allotment pursuant to the above stated Special Resolution shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing of the Resolution subject to the receipt of the approvals or permissions from any regulatory authority or the Central Government. If any approval necessary for the allotment remains pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of approval or permission, as the case may be.

The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do. If the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in SEBI ICDR Regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the Central Government.

The entire allotment of equity shares to the Central Government shall be made in dematerialized form.

In accordance with the Regulation 78(6) of SEBI ICDR Regulations, the entire pre-preferential holdings of Government of India shall be locked-in from the Relevant Date up to 6 months from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment. In terms of Regulation 78(1), the fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for 3 years from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment and beyond 20% shall be locked in for 1 year from the date of trading approval.

The equity shares of the Bank have been listed for more than 6 months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

The Bank's equity shares are frequently traded on the stock exchange on which they are listed i.e. National Stock Exchange of India Ltd. & BSE Ltd.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue and the issue-pricing are being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Meeting.

All the shares held by the Government of India are in dematerialized form and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as prescribed under SEBI Listing Regulations.

The Central Government has not sold any equity shares of the Bank during the 6 months preceding the relevant date.

In terms of Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations and Chapter VII of SEBI ICDR Regulations, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

The proposed Special Resolution, if passed, shall authorise the Board of Directors of the Bank to make the abovementioned issuance and allotment. The aforesaid enabling resolution is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. Hence your consent is requested for the above proposal.

Additional Notes:

1. The present Authorised Share Capital of the Bank is Rs.3000 Crore. Allotment of the proposed equity shares to GoI will entail the paid-up capital to exceed the Authorised Capital. The Bank has in terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 made necessary applications to GoI to increase the Authorised Share Capital and notify the same.
2. The proposed issue and allotment of equity shares to GoI would result in the Bank issuing and allotting equity shares to GoI in excess of 5% of its post issue paid-up capital during the financial year 2017-18 and thus would require exemption from the applicability of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations. The Bank shall approach SEBI on behalf of GoI for seeking the necessary exemption.
3. Bank has informed SEBI that the promoter's holding in the Bank would remain above 90% for a temporary period, which the Bank expects to bring down below 90% within March 31, 2018.

The Bank would be allotting shares to GoI only after a) increase in the Authorised Share Capital and b) obtaining the necessary exemption from SEBI in this regard.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank are interested in the Special Resolution.

ITEM NO.2

In order to motivate potential and dynamic employees and reward and recognise the experienced hands, the Bank proposes to issue new equity shares to all its permanent employees in India and abroad and all the Wholetime Directors of the Bank, through implementation of Employee Share Purchase Scheme (ESPS). The proposed issue shall also augment Bank's equity capital.

Pursuant to Ministry of Finance's letter F.No.11/13/2011-BOA dated June 12, 2014 the Bank is empowered to issue shares to employees under an Employee Share Purchase Scheme.

In accordance with the provisions of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI ESPS Regulations), the Bank has formulated a Scheme namely "UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEE SHARE PURCHASE SCHEME 2018" (UBI ESPS 2018) which shall be administered and implemented by the Remuneration Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Background and Object of the Issue:

Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) is one of the equity-based employee incentive plans used by the both listed and unlisted entities, to give ownership interest to their employees. It is a cost-effective method to

achieve sustained growth and to create shareholder value by aligning the interests of the Employees with the long term interests of the organisation.

Apart from raising capital, the objectives of the Issue are also —

- To attract young, energetic, dynamic talents to the Bank, motivate and retain them.
- To retain experienced hands with better incentives and recognize their services towards strengthening of the financial status of the Bank.
- To create a sense of ownership and participation in the success of the Bank.
- To align the interests of the employees with that of the shareholders by creating a common purpose of enhancing shareholders' wealth in Bank.

The equity shares proposed to be issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

The broad terms and conditions of the "UBI ESPS 2018" as per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 are as under—

SL. NO.	PARTICULARS	
a.	Brief Description of the Scheme	The Bank proposes to offer up to 5 (five) crore new equity shares of face value of Rs.10/- each to all Eligible Employees under UBI ESPS 2018 subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, at a discount of not more than 20% to be decided at the time of making offer.
b.	Total number of shares to be granted	Up to 5,00,00,000 (five crore) equity shares in aggregate are proposed to be offered to Eligible Employees under the UBI ESPS 2018. In the event of any change to the equity capital of the Bank by reason of split, capitalization, consolidation, exchange or other changes affecting the outstanding equity capital, appropriate adjustments shall be made to the maximum number of shares to be issued under the Scheme.
c.	Identification of classes of employees entitled to participate and be beneficia -ries in the UBI ESPS 2018	1. Wholetime Directors; or 2. A permanent Employee of the Bank who has been working in India or outside India including employees on deputation Note: Chief Vigilance Officer shall remain outside the scope of the Scheme.
d.	Requirement of vesting and period of vesting	Not Applicable
e.	Maximum period (subject to Regulation 18(1) and 24(1) of the SEBI Regulations, as the case may be) within which the options/ SARs / benefits shall be vested.	Not Applicable
f.	Exercise Price, SAR Price, Purchase Price, or Pricing Formula	The price of the Shares to be allotted is proposed to be at a discount of not more than 20% as decided by the Remuneration Committee on the average of the weekly high and low of the closing prices of the equity shares of the Bank as quoted on the stock exchange with highest trading volume during the 2 weeks period prior to the date of offer. Under no circumstances, the Shares shall be allotted under the Scheme at a price which is lower than the Face Value of the Shares i.e. Rs. 10/- per equity share.

<table>
<tr><th>SL. NO.</th><th>PARTICULARS</th><th></th></tr>
<tr><td>g.</td><td>Exercise Period and Process of Exercise</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>h.</td><td>Appraisal process for determining the eligibility of employees for the UBI ESPS 2018</td><td>Eligible Employees as on the date of offering shall be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.</td></tr>
<tr><td>i.</td><td>Maximum number of shares to issued per employee and in aggregate</td><td>The maximum number of shares to be allotted to eligible employees, grade wise, are proposed to be as under —
<table>
<tr><th>Employee Group (Scales)</th><th>Total Number of employees (as on 31.12.17)</th><th>Maximum number of Shares proposed to be issued to each employee</th><th>Total Shares proposed to be issued to the employee group</th></tr>
<tr><td>Directors</td><td>2</td><td>20000</td><td>40000</td></tr>
<tr><td>TEG (VI & VII)</td><td>55</td><td>10000</td><td>550000</td></tr>
<tr><td>SMG (IV & V)</td><td>530</td><td>7500</td><td>3975000</td></tr>
<tr><td>MMG (II & III)</td><td>2986</td><td>5000</td><td>14930000</td></tr>
<tr><td>JMG (I)</td><td>4379</td><td>4000</td><td>17516000</td></tr>
<tr><td>Clerk</td><td>4242</td><td>2000</td><td>8484000</td></tr>
<tr><td>Sub Staff</td><td>2347</td><td>1000</td><td>2347000</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>14541</td><td></td><td>47842000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>j.</td><td>Maximum quantum of benefits to be provided per employee under the Scheme</td><td>No other benefits shall be provided to the employee under the Scheme. Bank shall not extend any loan to its employees for purchase of shares however the clean overdraft granted to the employees may be utilised by the employees for the purpose.</td></tr>
<tr><td>k.</td><td>Whether the Scheme is to be administered directly or through a Trust</td><td>Directly by the Bank through the Remuneration Committee of the Board.</td></tr>
<tr><td>l.</td><td>Whether the Scheme involves new issue of equity shares or secondary acquisition (by the Trust) or both</td><td>Under the proposed scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.</td></tr>
<tr><td>m.</td><td>The amount of loan to be provided for implementation of the Scheme by the Bank to the Trust, its tenure, utilisation and repayment terms etc.</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>n.</td><td>Maximum percentage of secondary acquisition that can be made by the Trust</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>o.</td><td>A Statement to the effect that the Bank shall conform to the Accounting Policies specified in the Regulation 15 of the SEBI Regulation</td><td>The Bank shall conform to the accounting policies prescribed under Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.</td></tr>
</table>

SL. NO.	PARTICULARS	
p.	The method the Bank shall use to value its Options/ SARs	Not Applicable.
q.	The Statement, if applicable:	In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report. The Bank shall comply with the above requirements as and when applicable.
r.	Lock in Period:	The Shares allotted in terms of the Scheme to the Employees shall be under lock-in for a minimum period of one (1) year from the date of receipt of Trading Approval from all the Stock Exchanges. The Lock-in period can be further be extended to comply with the Statutory/ Regulatory/ Stock Exchange (s) directions/prescriptions, if any.

The Board of Directors at its Meeting held on December 6, 2017 has approved the aforesaid allotment. Further, the Bank shall procure the necessary approvals from the Central Government, RBI, Stock Exchanges and its Board and such other regulatory bodies as may be applicable.

The proposed Special Resolution, if passed, shall authorise the Board of Directors of the Bank or the Committee thereof empowered in this regard, to make the above-mentioned issuance and allotment. The aforesaid enabling resolution is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the Notice.

The Managing Director & CEO, the Executive Directors and Key Managerial Personnel of the Bank are deemed to be concerned or interested in the Resolution. Other Directors are not interested or concerned in the aforementioned Resolution.

By order of the Board of Directors
For **United Bank of India**
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Dated : January 31, 2018
Place : Kolkata

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ :

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

59-सी, चौरंगी रोड, कोलकाता-700020

If undelivered please return to :

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit: **United Bank of India**

59C, Chowringhee Road, Kolkata – 700020

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय/Head Office : 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001/11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

प्रॉक्सी फार्म (फार्म-बी)/PROXY FORM (FORM 'B')

(शेयरधारक द्वारा भरा जाना और हस्ताक्षरित किया जाना है/To be filled in and signed by the Shareholder)

पंजीकृत फोलियो / डीपी आईडी क्लाइंड आईडी / Regd. Folio / DP ID / Client ID		

मैं/हम/I/We _____ निवासी/resident(s) of _____ जिला /in the district of _____ राज्य / in the state of _____ युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतद्द्वारा/being a shareholder / shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint श्री/श्रीमती/Shri/Smt. _____ निवासी /resident of _____ जिला/in the district of _____ राज्य/in the state of _____ या उनके नही आने पर श्री/श्रीमती/or failing him/her, Shri/Smt. _____ निवासी/resident of _____ जिला /in the district of _____ राज्य /in the state of _____ को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रुप में 27 फरवरी, 2018 मंगलवार को पूर्वाहन 10.00 वजे कलकता विश्वविद्यालय इंस्टिट्युट हॉल ऑडिटोरियम 7, बंकिम चटर्जी कोलकाता – 700073 में एवं किसी स्थान की स्थिति में, बैंक के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण आम बैठक में मेरे/हमारे बदले मतदान देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं I as my/our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of United Bank of India to be held on Tuesday, February 27, 2018 at 10.00 hrs. (IST) at Calcutta University Institute Hall Auditorium, 7, Bankim Chatterjee Street, Kolkata -700 073 and at any adjournment thereof.

दिनांक _____2018 को इस पर हस्ताक्षर किया / signed this _____ day of _____ 2018.

रसीद टिकट
चिपकाएँ
Please Affix
Revenue Stamp

प्रॉक्सी के हस्ताक्षार / Signature of Proxy

Name :

नामित/एकमात्र शेयरधारक का हस्ताक्षर
Signature of First named/Sole Shareholder

प्रॉक्सी फॉम पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश / INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. कोई भी लिखत प्रॉक्सी तभी मान्य होगा जब–
 क) एक व्यक्ति के शेयरधारक के मामले में, उसके द्वारा हस्ताक्षरित / उसे या उसकी / उसके वकील द्वारा लिखित रुप में विधिवत अधिकृत किया गया हो,
 ख) संयुक्त धारकों के मामले में, शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर रजिस्टर में पहले या उसकी / उसके वकील का जो लिखित रुप में विधिवत अधिकृत किया गया हो,
 ग) एक निगमित निकाय के मामले में, जो विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो या एक वकील द्वारा लिखित रुप में अधिकृत किया गया हो। यह नोट किया जाए कि एक प्रॉक्सी की नियुक्ति के संबंध में, एक समुचित अधिकृत प्रतिनिधि / उसके अधिकार के तहत उसकी नियुक्ति के लिए संकल्प को बैठक के अध्यक्ष महोदय द्वारा एक सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि के रुप में संलग्न किया जाए।
 No instrument of proxy shall be valid unless
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing.
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing.
 c) in the case of a body corporate, signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. प्रॉक्सी का लिखत पर्याप्त रुप में कोई शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उसकी / उसके द्वारा लगे अंगूठे का निशान एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार आश्वासनों द्वारा या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।
 An instrument of proxy shall be deemed to be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
3. प्रॉक्सी के साथ
 क) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकारी (यदि कोई हो) अन्य प्राधिकरण जिसके तहत यह हस्ताक्षर किया गया है, या
 ख) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या अधिकारी का नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की एक **प्रति, शेयर विभाग व निदेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001 को असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले या वृहस्पतिवार, 22 फरवरी, 2018 को, अपराहन 05.00 बजे बैंक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले** जमा किया जाना चाहिए।
 The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the **Head Office of United Bank of India with the Share Department & Investors' Grievances Cell, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001** not less than **FOUR DAYS** prior to the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before the closing business hours of the Bank of Thursday, 22nd February, 2018 by 17.00 hrs. (IST)**
4. कोई लिखत प्रॉक्सी तब मान्य होगा जब कि इस पर विधिवत मुहर लगी हो और विनियमन के प्रपत्र "बी" में हो।
 No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulation 2010.
5. बैंक के पास जमा किया गया लिखत प्रॉक्सी अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा।
 An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. दो वैकल्पिक ग्रांटीज के पक्ष में स्वीकृत लिखत प्रॉक्सी के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
 In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी लिखत को निष्पादित किया है, वह उस लिखत से संबंधित असाधारण आम बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
 The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. किसी भी व्यक्ति को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी या एक कर्मचारी हो।
 No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.

SPEED POST
BNPL CODE-CCU-001-281.
KOLKATA GPO.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय/Head Office: 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001/11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

मंगलवार, 27 फरवरी, 2018/ Tuesday, 27th February, 2018. समय : पूर्वाहन 10.00 बजे/Time : 10.00 a.m.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	कलकाता विश्वविद्यालय इंस्टिट्युट हॉल ऑडिटॉरियम, 7, बेंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता - 700073/ Calcutta University Institute Hall Auditorium, 7, Bankim Chatterjee Street, Kolkata - 700073

ईवीएसएन/EVSN	यूज़र आईडी/User ID	सीक्वेंस सं/Sequence No.	दिन/माह/वर्ष में डिफल्ट जन्मतिथि (जहां जन्मतिथि पंजीकृत नहीं है) / Default DOB in dd/mm/yyyy या लाभांश बैंक ब्योरा / Dividend Bank Details
180131005			

ई-मतदान शनिवार, 24 फरवरी, 2018 को 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा Evoting begins on Saturday, February 24th, 2018 at 10.00 hrs. (IST)	ई-मतदान सोमवार, 26 फरवरी, 2018 को 17.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा/Evoting ends on Monday, February 26th, 2018 at 17.00 hrs. (IST)

ई-मतदान ब्योरा के लिए ईजीएम नोटिस की बिन्दु सं 6 देखें / Please refer to point no. 6 in the EGM Notice for details on e-voting.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय : 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001/Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001.

प्रवेश पत्र /ENTRY PASS

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/ Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
पंजीकृत फोलियो नंबर / **Regd. Folio No**		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी / **DP ID & Client ID**	
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			

शेयरधारक / प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में अभिलिखित अपने नमूना हस्ताक्षर सहित प्रवेश-पत्र के साथ बैंक स्थल पर उपस्थित हों। फिर भी, आवश्यक होनो पर प्रवेश सत्यापर/जांय के अध्याधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में, उपस्थिति चीं की डुप्लिकेट प्रति प्रवेश हेनु बैंक द्वारा जाती नहीं की जाएगी।

Shareholders/ proxy/ authorised representatives of shareholders are requested to produce the attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the Meeting.

उपस्थिति पर्ची /ATTENDANCE SLIP

(बैठक में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए /To be surrendered at the time of Entry to the Venue)

मैं मंगलवार दिन, 27 फरवरी, 2018 समय 10.00 बजे पतद्द्वारा बैंक के असाधारण आम सभा में उपस्थिति दर्ज करना हूं, कलकाता विस्वविद्यालय इंस्टिट्युट हॉल ऑडिटॉरियम, 7, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता - 700073 / I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank on Tuesday, 27th February, 2018 at 10.00 hrs.(IST) at Calcutta University Institute Hall Auditorium, 7 Bankim Chatterjee Street, Kolkata - 700 073.

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/ Signature of the Shareholder/Proxy/Representative			
पंजीकृत फोलियो नंबर/ **Regd. Folio No**		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी/ **DP ID & Client ID**	
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			